क्रमांक 157 / बो.प्र. / नि.स. / 2021 / ....

कार्यालय प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग

शिवनाथ भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

अपील प्रक्ररण क्रमांक 157

अपीलार्थी		प्रतिअपीलार्थी
श्रीमती सृष्टि हलधर 37 / 5, राधिका नगर, सिद्धी विनायक मंदिर के पास, भिलाई, जिला – दुर्ग (छ.ग.) मो.नं. – 9179625531	विरूद्ध	श्री एल.बी. शाह जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 24.08.2021

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्रीमती सृष्टि हलधर 37 / 5, राधिका नगर, सिद्धी विनायक मंदिर के पास, भिलाई, जिला – दुर्ग (छ.ग.) के प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2021 की सुनवाई आज दिनांक 24.08.2021 को कक्ष क्र. एस.ए.–9 में दोपहर 12.00 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी. शाह कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) उपस्थित हुए। अपीलार्थी श्रीमती सृष्टि हलधर सुनवाई के दौरान अनुपस्थित थे। उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख अनुसार मोबाईल क्र. 9179625531 में सुनवाई हेतु कॉल किया गया।

1. **अपीलार्थी श्रीमती सृष्टि हलधर, ने यह अपील** जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) के निर्णय दिनांक 11.06.2021 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की।

2. जन सूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 11.06.2021 से जो जानकारी अपीलार्थी को दी है उसके संबंध में सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने मोबाईल फोन से तर्क दिया है कि **"जन सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र में सूचित किया है कि इस कार्यालय के संबंधित कक्ष से प्राप्त टीप के अनुसार वांछित जानकारी धारित नहीं है।"** जबकि प्रमुख अभियंता कार्यालय में जिलेवार चाही गई जानकारी अर्थात् ई.आर.एम. कार्यों तथा डि–सिल्टींग से संबंधित कार्यों की वर्ष 2000–01 से 2019–20 तक की वर्षवार बजट प्रावधान, आबंटन एवं व्यय से संबंधित जानकारी उपलब्ध होना चाहिए। अतः उनके द्वारा प्रथम अपील दायर की गई है।

3. सुनवाई के दौरान जन सूचना अधिकारी द्वारा तर्क रखा गया कि, कार्यालय अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति जिलेवार प्राप्त नहीं होती है, अपितु परियोजनावार प्राप्त होती है। विभाग अंतर्गत कार्य भी परियोजना हेतु कराये जाते हैं तथा एक परियोजना एक से अधिक जिलों के कार्यक्षेत्र अंतर्गत हो सकती है। तदानुसार ही बांगो परियोजना अंतर्गत ई.आर.एम. कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार विभाग अंतर्गत डि–सिल्टींग से संबंधित कोई भी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतः आवेदिका द्वारा चाही गई जिलेवार जानकारी इस कार्यालय में संधारित नहीं है। इस बाबत् बजट प्रकोष्ट द्वारा उपलब्ध कराई गई नोटशीट प्रस्तुत की गई।

4. मोबाईल से सुनवाई के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बिन्दु क्रमांक 3 के तथ्यों से अपीलार्थी को अवगत कराया गया। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बताया गया कि अभी तक डि–सिल्टींग कार्य हेतु किसी प्रकार की कोई प्रशासकीय स्वीकृति विभाग को शासन से प्राप्त नहीं हुई है तथा बगैर प्रशासकीय स्वीकृति के कार्य का संपादन नहीं किया जाता है। एनीकट आदि में डि–सिल्टींग के कार्य कराने हेतु कार्य योजना तैयार करने बाबत् चर्चा की जा रही है, जिसके अनुसार डि–सिल्टींग का कार्य माईनिंग विभाग से कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ई.आर.एम. बाबत् चर्चा के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि ई.आर.एम. के कार्य अंतर्गत अभी तक केवल मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत ही प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2012 में प्राप्त हुई थी तथा यह परियोजना का कार्यक्षेत्र 3 जिलों क्रमशः कोरबा, जांजगीर–चांपा तथा रायगढ़ अंतर्गत आता है। इस कार्यालय द्वारा संबंधित मांग संख्या में उपलब्ध बजट प्रावधान अंतर्गत आबंटन प्रदाय किया जाता है तथा संबंधित कार्यपालन अभियंता द्वारा आबंटन का उपयोग किया जाता है। अतः अपीलार्थी ई.आर.एम. से संबंधित योजना की जानकारी मुख्य अभियंता मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना, बिलासपुर (छ.ग.) कार्यालय एवं संबंधित कार्यपालन अभियंता कार्यालयों से सूचना के अधिकार के तहत पृथक–पृथक आवेदन देकर प्राप्त कर सकती है।

5. अतः उभय पक्षों के तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर यह निर्णय दिया जाता है कि :–

जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्रदत्त जानकारी सही है तथा उनके द्वारा अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि संबंधित संभागीय कार्यालयों में पृथक–पृथक आवेदन कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। अपीलार्थी

द्वारा जानकारी कहां से प्राप्त होगी के अभाव के कारण प्रथम अपील दायर की गई थी। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी इस कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है। अतः उनका प्रकरण निरस्त किया जाता है।

सही/-
(अरूण कुमार बड़िये)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्र. 157/बो.प्र./नि.स./2021/6835 रायपुर दिनांक 24/08/2021

प्रतिलिपि :-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । कृपया उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री एल.बी. शाह,जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. श्रीमती सृष्टि हलधर 37/5, राधिका नगर, सिद्धी विनायक मंदिर के पास, भिलाई, जिला – दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

24/08/2021
(अरूण कुमार बड़िये)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)